

उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, द्वितीय तल कक्ष संख्या-57, डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ.-गुजराड़ा, निकट आई.टी.पार्क,
सहस्रधारा रोड़, देहरादून - 248 001

Website: www.ukpcouncil.org, Email: pharmacycounciluk@gmail.com, Contact No.: 0135-2608762
(फार्मसी अधिनियम 1948 के अध्याय III)

पत्रांक : यू0के0पी0सी0 / 2022 /

देहरादून, दिनांक:- 05/09/22

डाक द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण कराने सम्बन्धित आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा उन सभी पंजीकृत फार्मसिस्टों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना है, वह सभी फार्मसिस्ट पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निम्न दस्तावेज कुल निर्धारित शुल्क पर अतिरिक्त 18% GST के साथ डाक के माध्यम से फार्मसी काउन्सिल कार्यालय के पते पर प्रेषित करें।

1. आवेदन फॉर्म **K** काउन्सिल की वेबसाइट www.ukpcouncil.org से डाउनलोड करें,
2. मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (**Original registration Certificate**) तथा स्व: प्रमाणित छायाप्रति (दोनों तरफ से),
3. रिनुवल कार्ड मूल(**Original**), कार्ड न होने पर 500/रु0 अतिरिक्त शुल्क ऑनलाइन जमा कर शुल्क की छायाप्रति संलग्न करें,
4. आधार कार्ड की स्व: प्रमाणित छायाप्रति,
5. डिप्लोमा अथवा डिग्री की स्व: प्रमाणित छायाप्रति,
6. ए4- साइज का स्व: पता लिखा जवाबी लिफाफा रु0 42/का डाक टिकट लगा हुआ,
7. दो रंगीन पासपोर्ट फोटो जो वर्तमान में खींची गयी हो,
8. फार्मसी व्यवसाय का प्रमाण (यदि फार्मसिस्ट किसी फार्मसी व्यवसाय में हो अन्यथा नहीं),
9. पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क वर्षवार निम्न तरह होगा। शुल्क ऑनलाइन खाता सं0- **36821630863, (Uttarakhand Pharmacy Council), IFSC-SBIN0007893** पर जमा करें, तथा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न करें।

Renewal Fee

1. रिनुवल फीस-रु0 500 (पांच साल के लिए)
2. दस वर्ष या उससे अधिक अवधि तक रिनुवल न कराने की परिस्थिति में रु 1000/ Restoration fee, Rs. 100 per year के हिसाब से पिछले वर्षों की due fee एवं -रु0 500/ रिनुवल फीस (पांच साल के लिए)

Example :-

	<u>YEAR 2004</u>	
17 वर्षों की due fee (पिछली)	-	1700
Restoration fee	-	1000
5 वर्षों के लिए रिनुवल फीस	-	500
फॉर्म शुल्क	-	100
कुल	-	3300+18%GST